संख्या–153 / 38–6–21–165एलसी / 2020टीसी–III

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक– 04 मार्च, 2021

विषयः– बी0सी0–सखी के प्रशिक्षण एवं सर्टीफिकेशन के सबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या– 555 / 38–6–2020–165एलसी / 2020टीसी–III दिनांक 16.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16.12.2020 के प्रस्तर–1 (12) में चयनित बी0सी0–सखी को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के परिपत्र संख्या–जे–11060 / 38 / 2018–आरएएल–पार्ट(1)(367592) दिनांक 11.7.2019 के प्रस्तर–10 में चयनित बी0सी0–सखी के कार्य को सुगम बनाने के लिये कम्प्यूटर एवं अन्य सहवर्ती उपकरण क्रय किये जाने हेतु स्वयं सहायता समूह / ग्राम संगठन / संकुल संघ के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण लिये जाने का प्राविधान है।

3– उक्त के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि बी0सी0–सखी को कम्प्यूटर एवं अन्य सहवर्ती उपकरण क्रय किये जाने हेतु 04 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाये।

4– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत मामले में उक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह )
अपर मुख्य सचिव

सं0– 153 (1) / 38–6–2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के परिपत्र संख्या–जे–12036 / 02 / 2016– आरएएल (348452) दिनांक 01.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0 / मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त उपायुक्त (स्वतः रोजगार), उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

4.3.21

(मनोज कुमार सिंह )
अपर मुख्य सचिव

goc1202110S